भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1094

जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक के घरेलू उत्पादन में गिरावट

1094. श्री वी. वैथिलिंगम:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू उर्वरक उत्पादन में हाल ही में आई गिरावट, विशेष रूप से वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों, बढ़ती आदान लागत, आयातित कच्चे माल पर निर्भरता और उर्वरक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अन्य चुनौतियों के संबंध में कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं;
(ख) उत्पादन संबंधी बाधाओं को दूर करने, उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने और कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) देश में घरेलू विनिर्माण क्षमता में सुधार लाने, महत्वपूर्ण कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उर्वरक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को बढ़ाने में क्या प्रगति हुई है;
(घ) सरकार द्वारा उर्वरक संयंत्रों के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और उपलब्ध उत्पादन संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए क्या सहायता प्रदान की गई है; और
(ङ) कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के लिए घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आयात पर निर्भरता को कम करने और दीर्घकालिक उर्वरक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल किए जाने का विचार है?

<u>उत्तर</u>

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.): उर्वरक इकाइयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उर्वरक उत्पादन में गिरावट आम तौर पर विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कच्चे माल/फीडस्टॉक की उपलब्धता, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में उतार-चढ़ाव, तकनीकी शटडाउन। हालांकि, कच्चे माल और फीडस्टॉक के लिए स्रोतों के विविधीकरण के माध्यम से, घरेलू उत्पादन को इष्टतम स्तर पर सुनिश्चित किया गया है।

इसके अलावा, उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर करने के लिए, विभाग ने उर्वरकों के लिए आयात स्रोतों में विविधता लाने के उपाय किए हैं और आपूर्ति के

अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाने के लिए भारतीय दूतावासों के साथ जुड़ा हुआ है। किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, अप्रैल 2026 और जून 2026 में वैश्विक निविदा के माध्यम से क्रमशः 25 एलएमटी और 17.7 एलएमटी यूरिया प्राप्त किया गया है। इन पहलों का उद्देश्य उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, वैश्विक बाजार व्यवधानों से उत्पन्न होने वाली कमजोरियों को दूर करना और उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

v. राज्य के भीतर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता

(पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2026-27 के दौरान बढ़कर 269.42 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। इसके अलावा, ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसें असम वैली फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा। दोनों परियोजनाएं क्रियान्वयन के चरण में हैं।

इसके अलावा, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से बढ़ाकर अधिकतम करने के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य के साथ मौजूदा 25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों के लिए नई यूरिया नीति (एनयूपी) - 2015 को 25 मई, 2015 को अधिसूचित किया। एनयूपी-2015 के कारण 2014-15 की तुलना में प्रतिवर्ष 20-25 एलएमटी अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन हुआ है।

उपर्युक्त उपायों से देश में यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान रहे 225 एलएमटी प्रति वर्ष के स्तर से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 314.07 एलएमटी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2025-26 के दौरान 293.30 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ।

इसके अलावा, 15.07.2026 को, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए नई यूरिया निवेश नीति (एनआईपीयू) - 2026 को मंजूरी दी है।

सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया जाता है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। खरीफ 2026 के लिए, स्कीम के तहत पी एंड के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनबीएस दरों हेतु ₹41,533.81 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई है।

आयातित फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमआरपी की तर्कसंगतता पर दिनांक 18.01.2024 को जारी दिशानिर्देश के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं, जिसमें आयातकों/उत्पादकों और एकीकृत उत्पादकों को क्रमशः 8%/10% और 12% का उचित लाभ दिया जाता है; अनुरोधों के आधार पर, एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई है/संज्ञान में लिया गया है, एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 की 22 ग्रेड से बढ़ाकर 28 ग्रेड कर दी गई है और मृदा में फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर मालभाड़ा सब्सिडी, खरीफ, 2022 से प्रदान की जा रही है।
